

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कलक्टर

**आदेश:-**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 11.1.18 व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 12.1.18 तहसील में जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2075-10-2078 में खाता संख्या 3 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	12.1.18	खाता संख्या 3 मु.न. 32 प.न. 208/209 शक 2075 वैशाख	अनिष्ठा पति सधेराजजी बिनोई सा. 12.1.18 खातेदार शक्ति SBI शाखा मई 2018 मजो राशीदाम	अनिष्ठा पति सधेराजजी बिनोई सा. 12.1.18 खातेदार शक्ति SBI शाखा मई 2018 मजो राशीदाम

**उपखण्ड अधिकारी**  
**रायसिंहनगर**  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिभाग :-

1. तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शोध किया जाकर पालन रिपोर्ट निजवाये।

2. प्रार्थी को

3. राक्षस पत्रवाली।

को सूचनार्थ।

**पीठासीन अधिकारी**  
**उपखण्ड अदालत**  
**उपखण्ड अधिकारी एवं**  
पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

